



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13112020-223042
CG-DL-E-13112020-223042

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 325] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 11, 2020/कार्तिक 20, 1942
No. 325] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 11, 2020/KARTIKA 20, 1942

लोक सभा

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2020

सं. 9/2/सीआई/2020.—लोक सभा समाचार भाग-दो दिनांक 6 नवंबर, 2020 में प्रकाशित निम्नलिखित पैरा
एतद्वारा सामान्य सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है:-

“सं. 1791

समिति शाखा-एक

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों की पांचवीं अनुसूची में संशोधन

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों (सोलहवां संस्करण) के नियम 331-ग के उप-नियम (2) के परंतुक के
अनुसरण में लोक सभा अध्यक्ष ने राज्य सभा के सभापति के परामर्श से पांचवीं अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन किए हैं:-

पांचवीं अनुसूची

(नियम 331-ग देखें)

स्थायी समितियों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत मंत्रालय/विभाग

क्रम सं.	समिति का नाम	समिति का नाम	मंत्रालय/विभाग	
	के लिए	प्रतिस्थापित	के लिए	प्रतिस्थापित
भाग-एक				

3	मानव संसाधन विकास संबंधी समिति	शिक्षा, महिला, बाल, युवक और खेल संबंधी समिति	(1) मानव संसाधन विकास (2) युवक कार्यक्रम और खेल (3) महिला और बाल विकास	(1) शिक्षा (2) युवक कार्यक्रम और खेल (3) महिला और बाल विकास
---	--------------------------------	--	--	---

स्नेहलता श्रीवास्तव , महासचिव”

**LOK SABHA
NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th November, 2020

No. 9/2/CI/2020.—The following paragraph published in the Lok Sabha Bulletin Part II dated 06 November, 2020, is hereby published for general information:-

“No.1791

Committee Branch-I

**Amendments to the Fifth Schedule to the Rules of Procedure and
Conduct of Business in Lok Sabha**

In pursuance of the proviso to sub-rule (2) of rule 331C of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Sixteenth Edition), the Speaker, Lok Sabha in consultation with the Chairman, Rajya Sabha has made the following amendments to the Fifth Schedule:-

FIFTH SCHEDULE

(See Rule 331C)

Ministries/Departments under the jurisdiction of the Standing Committees

Sl. No.	Name of the Committee	Name of the Committee	Ministries/Departments	
	<i>For</i>	<i>Substitute</i>	For	Substitute
Part I				
3	Committee on Human Resource Development	Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports	(1) Human Resource Development (2) Youth Affairs and Sports (3) Women and Child Development	(1) Education (2) Youth Affairs and Sports (3) Women and Child Development

SNEHLATA SHRIVASTAVA, Secy. Genl.”